

**पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा  
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,  
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।**

आज दिनांक- 10.05.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।



## थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ

### एक नफर हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में हिस्ट्रीशीटर अभियुक्तों के सत्यापन तथा अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक:- 10.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 राधेश्याम सिंह व हे0का0 बृजेन्द्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर थानास्थानीय के हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त (14ए) देवेन्द्र यादव पुत्र लल्लू यादव उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा को थानाक्षेत्र के चन्द्रावल नदी पुल के पास से अवैध देशी ठेका शराब के साथ गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से एक बोरी में 17 अदद क्वाटर देशी शराब विन्डीज झूम ब्रान्ड नाजायज बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त देवेन्द्र यादव उपरोक्त के विरुद्ध थाना खन्ना में मु.अ.सं. 53/2025 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत करते हुए नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई है।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

देवेन्द्र यादव पुत्र लल्लू यादव उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम खन्ना थाना खन्ना जनपद महोबा।

बरामदगी का विवरण:- एक बोरी में 17 क्वाटर देशी शराब नाजायज झूम ब्रान्ड बरामद

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राधेश्याम सिंह
2. कां0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया



## “थाना समाधान दिवस” के अवसर पर आयोजित जनसुनवाई में आमजन की समस्याओं को सुना गया एवं उनके निराकरण हेतु दिए गए आवश्यक दिशा-निर्देश-



आज दिनांक- 10.05.2025 को जिलाधिकारी महोबा, श्रीमती गजल भारद्वाज एवं पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से आज थाना समाधान दिवस के अवसर पर जनपद महोबा के थाना चरखारी में पहुँचकर क्षेत्र से आये फरियादियों की समस्याओं की जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक ने सभी फरियादियों को उनकी समस्याओं के गुणवत्तापूर्ण एवं शीघ्र समाधान हेतु आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर ही राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम का गठन कर, शिकायतों के शत-प्रतिशत निष्पक्ष निस्तारण के निर्देश दिए।

इसी प्रकार अपर पुलिस अधीक्षक महोबा, श्रीमती वन्दना सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी महोबा, श्री रामप्रकाश के साथ थाना श्रीनगर में उपस्थित रहकर संयुक्त रूप से फरियादियों की समस्याओं को सुना गया और उनके शीघ्र समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

जनपद के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा राजस्व विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर अपने-अपने थानों पर समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच कर, शिकायतों के निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संयुक्त टीमों द्वारा मौके पर जाकर त्वरित कार्यवाही की गई।

थाना समाधान दिवस के अंतर्गत जनपद में कुल 39 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 33 शिकायतें राजस्व से सम्बन्धित व 06 शिकायतें पुलिस से सम्बन्धित पायी गयी, इनमें से 03 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है, जबकि शेष शिकायतों के समाधान/निस्तारण हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

## थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 02 नफर वाछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को कारित करने वाले वाछित एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 10.05.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी के निकट पर्यवेक्षण में प्र०नि० थाना श्रीनगर अवधेश कुमार मिश्र द्वारा गठित टीम के उ०नि० दिनेश कुमार सिंह द्वारा थाना श्रीनगर पर पंजीकृत मु०अ०सं० 100/25 धारा 80(2)/85 बीएनएस व ¾ डीपीएक्ट से सम्बन्धित 02 नफर वाछित अभियुक्त क्रमशः 1.रवि राजपूत पुत्र अम्बिका प्रसाद राजपूत उम्र 24 वर्ष 2. अम्बिका प्रसाद राजपूत पुत्र स्व० रतनलाल राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासीगण ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा को मुखबिर खास की सूचना पर सिजवाहा ग्राम से करीब एक किमी पहले सिजवाहा नहर पुलिया से गिरफ्तार किया गया, बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्तगण उपरोक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेशी उपरान्त जेल भेजा गया ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ०नि० दिनेश कुमार सिंह
- 2.का० कुबेर सिंह
- 3.का० राघववेन्द्र सिंह

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

- 1.रवि राजपूत पुत्र अम्बिका प्रसाद राजपूत उम्र 24 वर्ष
2. अम्बिका प्रसाद राजपूत पुत्र स्व० रतनलाल राजपूत उम्र 60 वर्ष निवासीगण ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर महोबा



# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

